I/349814/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2023

विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति हेतु 58 वर्ष के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–2120/आठ–5–09–199ई/98, दिनांक 18.07.2009 द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान–वेतनमान की व्यवस्था लागू की गयी है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरण कार्मिकों द्वारा समयमान–वेतनमान संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2009 की प्राविधानित व्यवस्था के अधीन 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु के विकल्प का चयन करते हुए 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु की दशा में अनुमन्य लाभ के सापेक्ष समस्त लाभ 02 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिये गये हैं, किन्तु ऐसे कार्मिक 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त हो रहें हैं, इस प्रकार उक्त कार्मिकों द्वारा दोहरा लाभ प्राप्त किया गया है/किया जा रहा है, जो शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

3– उक्त स्थिति के कारण प्रकरण के निराकरण हेतु तत्कालीन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.04.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या–1006/आठ–5–21–199ई/98, दिनांक 12.04.2021 के माध्यम से निर्देश दिये गये है कि यदि अधिवर्षता आयु का चयन स्वयं कार्मिक द्वारा किया गया है, तो वह समस्त वस्तुस्थितियों से भिज्ञ है। ऐसी स्थिति में यदि वह चयनित अधिवर्षता आयु (58 वर्ष) पर सेवानिवृत्त नहीं हुआ है/नहीं हो रहा है, तो समयमान–वेतनमान संबंधी शासनादेश दिनांक 18.07.2009, ए0सी0पी0 शासनादेश दिनांक 04.10.2018, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (समस्त संशोधनों सहित) एवं उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 की प्रावधानित व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु के परिप्रेक्ष्य में वेतन/पेंशन पुनर्निर्धारण किया जाना नियमानुसार है। उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

4– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 के भाग–5 के प्रकीर्ण–13(4) में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादन के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान को वापस किये जाने की व्यवस्था की गयी है और इसे बाध्यकर बनाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक अधिकारी से यथास्थिति प्रपत्र 'ज' या 'झ' में पहले से ही घोषणा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

5— उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा समयमान–वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के आधार पर 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु के विकल्प का चयन किया गया है, उनकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान 58 वर्ष के विकल्प के चयन पर अनुमन्य लाभ के आधार पर ही निर्धारित करते हुए पेंशन आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में 58 वर्ष के विकल्प का चयन करने वाले कार्मिकों को दोहरा लाभ प्राप्त न हों, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण का होगा।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 14-07-2023 17:47:15
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।